राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 135/2021

कमल कुमार उर्फ कमला राम आदि

ब–ना–म

प्रकाश आदि

दावा– खाता विभाजन, घोषणात्मक,
स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती रिकार्ड

प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री बजरंग शर्मा – प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं. 1 लगा. 7 की ओर से
2. श्री अमर सिंह गुर्जर – अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से

:: निर्णय :: **दिनांक : 06–05–2022**

प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इस आशय का पेश किया गया कि भूमि वर्तमान ख.नं. 1820/301, 1921/230, 1963/230, 229, 231, 233, 278 राजस्व ग्राम कोल्याली पटवार हल्का कालोटा तहसील खेतड़ी के सम्बन्ध में उक्त वाद माननीय न्यायालय हाजा में नियोजन किया गया हैं। उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं। उक्त प्रकरण के पूर्व वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष इन्ही आधारों व तथ्यों पर दिनांक 22.11.2019 को उनवानी प्रकरण कमल कुमार आदि बनाम प्रकाश आदि मु.सं. 187/2019 पेश किया गया था। जिसमें माननीय न्यायालय हाजा द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध समन जारी होकर तलबी हो चुकी थी। पूर्व में वादीगण द्वारा श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष पेश प्रकरण को वादीगण द्वारा दिनांक 19.08.2021 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर उनवानी प्रकरण कमल कुमार आदि बनाम प्रकाश आदि मु.नं. 187/2019 को आगे नहीं चलाने की प्रार्थना के साथ विड्रा किया जाने हेतु पेश किया [illegible]। वादीगण द्वारा पेश विड्रा प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय हाजा [illegible] ही वादीगण को उक्त वाद सं. 187/2019 को विड्रा करने की अनुमति प्रदान [illegible] पत्रावली फैसल शुमार व दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर का आदेश दिया गया था। वादीगण [illegible] दिनांक 19.08.2021 को पेश मु.नं. 187/2019 के विड्रा प्र[illegible]ना पत्र में कही भी न[illegible] से वाद को संस्थित करने का उल्लेख नहीं किया गया था व ना ही माननीय न्यायालय हाजा द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:46:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीगण को ऐसा कोई बाद में नये सिरे से वाद प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी। वादीगण द्वारा अब उन्हीं आधारों व तथ्यों पर नया वाद सं. 135/2021 पेश कर दिया गया है जो कि आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. तथा धारा 11 के तहत यदि एक बार एक वाद दायर किया जाता है तथा नया वाद दायर करने की न्यायालय से अनुमति लिये बिना वापस ले लिया जाता है तो वादी को पूर्ववर्ती वाद में अर्न्तविष्ट विषय वस्तु के बारे में दूसरा वाद दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, नया वाद दायर करने की न्यायालय से अनुमति के बिना वाद का प्रत्याहरण दूसरे वाद को वर्जित करता हैं। इसलिये उक्त वाद वर्जित है व कानूनन चलने योग्य नहीं है व सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य हैं।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वाद सं. 135/2021 को मय हर्जे खर्चे फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उक्त वाद से पूर्व वादीगण ने न्यायालय हाजा के समक्ष इन्ही आधारों व तथ्यों पर वाद नहीं किया। उक्त प्रकरण खाता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा, घोषणात्मक व रिकार्ड दुरस्ती का है तथा पूर्व में दर्ज प्रकरण मु.नं. 187/2019 मात्र घोषणात्मक का हैं। इस प्रकार उक्त वाद की विषयवस्तु, अनुतोष, पक्षकार सब अलग अलग है, तथा आधार भी अलग हैं। पूर्व वाद, व उक्त वाद का कोई सम्बन्ध नहीं हैं। वर्तमान उक्त वाद नवीन वाद कारण के उत्पन्न होने के कारण नवीन वाद कारण के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि उक्त वाद में दर्ज प्रतिवादी सं. 1 ने अपने गलत दर्ज 3/7 हिस्से में से 0.94 हैक्टर भूमि का उक्त प्रतिवादी सं. 2 व 3 को विक्रय पत्र पंजिकृत करवा दिया व शेष बची 0.67 हैक्टर भमि भी विक्रय करने पर आमादा हो गया, जिसका उसे कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि वाद वर्णित भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा अर्थात 0.94 हैक्टर व उक्त प्रतिवादी सं. 1 व 4 लगायत 7 का भी 0.94 हैक्टर हिस्सा ही हैं। जिसे संपूर्ण को उक्त प्रतिवादी सं. 1 विक्रय कर चुका है जिसे विक्रय करने का उसे अकेले को कोई अधिकार नहीं था। क्योंकि वाद वर्णित भूमि में वादीगण का 1/4 हिस्सा है अर्थात 0.94 हैक्टर भूमि है, जिसपर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त प्रतिवादी सं. 1 प्रकाश ने अपने हिस्से से 0.16 हैक्टर भूमि अधिक विक्रय कर दी। अब उसका उक्त भूमि में कोई हिस्सा नहीं बचा हैं। उक्त प्रतिवादी सं. 2 व 3 अजनबी केता ने दिनांक 01.08.2021 को वादीगण को धमकी दी कि वे जबरन वादीगण के हिस्से की भूमि पर कब्जा करेंगे व शेष वादीगण का हिस्सा भी खरीदेंगे, तथा उक्त प्रतिवादी सं. 1 व 4 लगायत 7 ने भी धमकी दी कि वे वादीगण के हिस्से की समस्त भूमि का गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर उक्त प्रतिवादी सं. 2 व 3 को बेचान करेंगे व तुम्हारा हिस्सा भी तुम्हारे नाम नहीं करवाने देंगे। इस पर वादीगण ने दिनांक 03.08.2021 को ग्राम वासियों की पंचायत बुलाई जिसमें सर्व सम्मति से ग्राम वासियों ने उक्त प्रतिवादी सं. 1 प्रकाश की गलती मानी व 0.94 हैक्टर भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त माना व हक अधिकार माना। उक्त प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 ने पंचायत का फैसला भी नहीं माना तथा धमकी दी कि वे वादीगण के 1/4 हिस्से की 0.94 हैक्टर भूमि का जबरन बेचान कर कब्जा करेंगे/करायेंगे, इस पर पंचायत [illegible] पंचायत आपके (वादीगण) के साथ है, आप न्यायालय में कार्यवाही करो, [illegible]। इसलिये वाद के लिये दिनांक 23.07.2021 व 03.08.2021 को [illegible] इस पर वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि को बेचने से [illegible] नवीन वाद कारण के आधार पर नवीन अनुतोष व नवीन पक्षकारों, नवीन विषयवस्तु, [illegible]ता विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा, दुरूस्ती रिकार्ड का प्रस्तुत कर दिया। चूंकि पूर्व वाद में वादी का खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती का अनुतोष नहीं था, इसलिये उसका कोई महत्व नहीं रहा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:46:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

इसलिये वादीगण ने न्यायालय की अनुमति से उसे विड्रा किया हैं। जिसे यदि वादीगण विड्रा नहीं करते तो भी उक्त नवीन वाद कारण के आधार पर उन्हे नया वाद लाने का अधिकार था। तत्पश्चात उक्त नवीन वाद प्रस्तुत करने पर अप्रार्थीगण को तलबी जारी की गई, तथा तलबी पश्चात प्रशासन गांव के संग अभियान में न्यायालय श्रीमानजी ने ग्राम में विवादित स्थिति को, ग्रामीणों व प्रबुद्धजनों व मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर व मौके की स्थिति के आधार पर वादीगण के पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर उन्हे न्याय प्रदान की व अप्रार्थीगण को रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया। इस प्रकार पूर्व वाद व उक्त वाद की विषय वस्तु, अनुतोष व पक्षकार, आधार विवाद भिन्न होने के कारण उक्त प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 खारिज होने योग्य है। उक्त वाद पर आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान लागु नहीं होते हैं। प्रतिवादीगण ने गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य हैं। पूर्व वाद व उक्त वाद अलग अलग तथ्यों, विषय वस्तु व पक्षकारों व वाद कारणों पर आधारित हैं। मु. नं. 187/2019 व वर्तमान विचाराधीन वाद का सम्बन्ध नहीं। जब उक्त वाद की विषय वस्तु, पक्षकार, तथ्य सभी अलग अलग हैं, तथा नवीन वाद कारण के आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है तो पूर्व वाद में विड्रा के प्रार्थना पत्र में नये सिरे से वाद संसथित करने का उल्लेख करने का कोई प्रश्न ही नहीं हैं। तथा नवीन वाद कारण के आधार पर वाद दायर करने हेतु कोई अनुमति देना या लेना आवश्यक नहीं हैं। कानूनी प्रावधान आदेश 23 नियम 1 जा.दी के अन्तर्गत कोई भी पक्षकार किसी भी स्टेज पर वाद को विड्रा कर सकता है तथा धारा 11 जा.दी. पूर्व वाद में न्यायालय द्वारा विवाधक का अंतिम रूप से गुण अवगुण (मैरिटस) के आधार पर अंतिम रूप से विनिश्चय किया जाकर निर्णित किया जाना आवश्यक हैं। उक्त दोनों ही कानूनी प्रावधान उक्त वाद पर लागु नहीं होते हैं क्योंकि पूर्व वाद 187/2019 तथा वर्तमान वाद 135/21 दोनों की प्रकृति, विषय, पक्षकार तथ्य, अनुतोष अलग अलग है, इसलिये पूर्व वाद के प्रत्याहरण का वर्तमान उक्त विचाराधीन वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता हैं।

<u>**अतिरिक्त उत्तर**</u> :— आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के अन्तर्गत निम्न दशाओं में कोई वाद पत्र नामंजुर किया जा सकता हैं कि :—

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता हैं।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन कम किया गया है और वादी मुल्यांकन को ठीक करने के लिऐ न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता हैं।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन ठीक है, किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है, और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता हैं।

(घ) जहां वाद पत्र में के कथन से यह प्रतित होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हैं।

(ड) जहां दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता [illegible]

(च) जहां वादी नियम 9 के पर[illegible]ल रहता हैं।

इस प्रकार उक्त वाद पर [illegible].दी. के प्रावधान लागू नहीं होते है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

आदेश 23 नियम 1 के प्रावधान है कि वाद संस्थित किये जाने के पश्चात किसी भी समय वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरूद्ध अपने वाद का परित्याग या

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:46:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा। तथा अव्यस्क वादी की स्थिति में न्यायालय की ईजाजत से परित्याग किया जा सकेंगा। इस प्रकार उक्त वाद पर आदेश 23 नियम 1 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं।

धारा 11 जा.दी. में प्रावधान है कि – कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाधक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः या सारतः विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारों के बीच में या ऐसे पक्षकारों के बीच में, जिनसे उत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद रहा है, जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद, जिसमें ऐसा विवाधक वाद में उठाया गया हैं विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका हैं। इस प्रकार उक्त वाद पर धारा 11 जा.दी. के प्रावधान भी लागु नहीं होते है, क्योंकि पूर्व वाद में कोई अंतिम रूप से विनिश्चय या निर्णय नहीं हुआ।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने की कृपा करें।

विद्वान योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर बतौर समाहित की गई। मैंने उभय पक्ष के विद्वान योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपांत परीक्षण किया। पत्रावली पर उपलब्ध वाद सं. 187/2019 की आदेशिका एवं हस्तगत वाद पत्र से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण के अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष इन्हीं आधारों व तथ्यों पर दिनांक 22.11.2019 को उनवानी प्रकरण संख्या 187/2019 कमल कुमार आदि बनाम प्रकाश आदि बाबत घोषणात्मक पेश किया गया था। उक्त वाद संख्या 187/2019 अप्रार्थीगण/वादीगण ने दिनांक 19.08.2021 को मय अधिवक्ता उपस्थित होकर उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा विड्रा (प्रत्याहरित) करने की अनुमति हेतु निवेदन किया। तथा न्यायालय हाजा ने अप्रार्थीगण/वादीगण के निवेदन को स्वीकार कर दिनांक 19.08.2021 को वाद संख्या 187/2019 को प्रत्याहरित करने की अनुमति प्रदान की। अप्रार्थीगण द्वारा अब उन्हीं आधारों व तथ्यों पर नया वाद सं. 135/2021 पेश कर दिया गया है। आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. तथा धारा 11 के तहत यदि एक बार एक वाद दायर किया जाता है तथा नया वाद दायर करने की न्यायालय से पुर्वानुमति लिये बिना वापस ले लिया जाता है तो वादी को पूर्ववर्ती वाद में अर्न्तविष्ट विषय वस्तु के बारे में दूसरा वाद दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। नया वाद दायर करने की न्यायालय से की पुर्वानुमति के बिना वाद का प्रत्याहरण दूसरे वाद को वर्जित करता हैं।

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 स्वीकार किया जाकर वादीगण का हस्तगत वाद संख्या 135/2021 उनवानी कमल कुमार उर्फ कमला राम आदि बनाम प्रकाश आदि खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified

यह निर्णय आज दिनांक 06-05-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:46:47 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner